भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1215

जिसका उत्तर सोमवार, 8 दिसम्बर, 2025/17 अग्रहायण, 1947 (शक) को दिया गया

मुजफ्फरनगर में बैंक

1215. श्री हरेन्द्र सिंह मलिक:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश के ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी बैंक की नई शाखा खोलने के लिए क्या प्रक्रिया और आवश्यक मानदंड हैं;

(ख) क्या मुजफ्फरनगर जिले सहित पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी बैंकों की नई शाखाएं खोलने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या गन्ने की अधिक उपज वाले क्षेत्रों जैसे नकदी फसल उत्पादक क्षेत्रों में नई बैंक शाखाएं स्थापित करने के मानदंड सामान्य मानकों से भिन्न हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क) से (ग): सरकार का प्रयास देश में सभी बसावट वाले गांवों के 5 किलोमीटर के दायरे के भीतर बैंकिंग आउटलेट (बैंक शाखा/व्यवसाय प्रतिनिधि/इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक) की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। बैंकिंग आउटलेट्स की उपलब्धता की निगरानी, भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस) आधारित ऐप अर्थात जन धन दर्शक (जेडीडी) द्वारा की जाती है। जन धन दर्शक (जेडीडी) ऐप पर बैंकों द्वारा अपलोड किए गए आंकड़ों के आधार पर, दिनांक 31.10.2025 तक की स्थिति के अनुसार, देश के 99.91% गांव 5 किलोमीटर के दायरे में बैंकिंग आउटलेट (बैंक शाखा/बीसी/आईपीपीबी) से कवर किए गए हैं।

आरबीआई ने घरेलू अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) को आरबीआई की पूर्व अनुमति लिए बिना देश में किसी भी स्थान पर शाखा सहित बैंकिंग आउटलेट्स खोलने की सामान्य अनुमति भी प्रदान की है बशर्ते कि वित्तीय वर्ष के दौरान खोले गए बैंकिंग आउटलेट्स की कुल संख्या का कम से कम 25 प्रतिशत बैंकरहित ग्रामीण केन्द्रों अर्थात ऐसे केन्द्रों जिसकी आबादी 10,000 से कम हो (टियर-5 और टियर-6 केन्द्रों) में स्थित हों।

इसके अलावा, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के मौजूदा दिशा-निर्देशों के अनुसार, कवर न किए गए क्षेत्रों में बैंकिंग आउटलेटों को आरंभ करना एक सतत् प्रक्रिया है जिसका संचालन राज्य/संघ राज्य क्षेत्र (यूटीबीसी) स्तरीय बैंकर्स समिति (एसएलबीसी/यूटीएलबीसी) द्वारा संबंधित राज्य सरकारों, सदस्य बैंकों और अन्य स्टेकहोल्डरों के परामर्श से किया जाता है। बैंक, अन्य बातों के साथ-साथ, भारतीय रिजर्व बैंक के अनुदेशों, अपनी व्यावसायिक योजनाओं और उनकी वाणिज्यिक व्यवहार्यता के आलोक में बैंकिंग आउटलेट खोलने के प्रस्तावों पर विचार करते हैं। बैंकिंग आउटलेट खोलने की व्यवहार्यता का और अधिक आकलन करने के लिए, बैंक आवश्यकतानुसार सर्वेक्षण करते हैं। ऐसे प्रस्तावों के आंकडे केन्द्रीय स्तर पर नहीं रखे जाते हैं।

जेडीडी ऐप के अनुसार, उत्तर प्रदेश (यूपी) के मुजफ्फरनगर जिले के सभी बसे हुए गांवों को 5 किलोमीटर के दायरे में एक बैंकिंग आउटलेट द्वारा कवर किया जाता है। इसके अतिरिक्त, दिनांक 31.10.2025 तक की स्थिति के अनुसार, उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में बैंकिंग अवसंरचना की स्थिति निम्नानुसार है:

मुजफ्फरनगर जिले में बैंकिंग अवसंरचना				
जिला	**शाखा**	बीसी	**एटीएम**	**आईपीपीबी**
मुजफ्फरनगर	343	3103	214	227

स्रोत: जेडीडी ऐप

*****